न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

म0प्र0 कैम्प कोर्ट रीवा म0प्र0

समक्ष माननीय सदस्य ....

R.3780-III/14

राजस्व पुनरीक्षण कमांक ..../2014

प्रमिला देवी पत्नी रविशंकर त्रिपाठी साकिन ग्राम डाम्हा तहसील नागौद ज़िला सतना म0प्र0 .... पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1- रामबालक त्रिपाठी उर्फ राजू पिता स्व0 उमा प्रसाद त्रिपाठी साकिन ग्राम डाम्हा तहसील नागौद जिला सतना म0प्र0

2- शासन म0प्र0 जरिए पटवारी हल्का डाम्हा तहसील नागौद जिला सतना म0प्र0 .... गैरपुनरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षण विरुद्ध न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील नागौद जिला सतना म0प्र0 प्रकरण कमांक 22/अपील/2013-2014 में पारित आदेश दिंनाक 22.09.14

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0सं0

मान्यवर,

पुनरीक्षणकर्ता अधीनस्थ न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 22.09.14 के विरुद्ध यह पुनरीक्षण निम्न आधारो पर प्रस्तुत कर विनयी है :-

प्रकरण के तथ्य

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि गैरपुनरीक्षणकर्ता कमांक 1 ने अधिनस्थ न्यायालय में ग्राम डाम्हा तहसील नागौद की आराजी नम्बर 12/2ख रकवा

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R. 3780/III/14 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-9-15	प्रकरण में आवेदक अभि० श्री बी.पी. चतुर्वेदी उपस्थित। उन्हें सुना गया। आवेदक अभि० द्वारा अपने तर्कों में यह प्रकट किया गया कि अधीनस्थ तहसीलदार न्याया० में अनावेदक द्वारा विवादित भूमियों के संबंध में वारिसाना नामांतरण का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इसी बीच आवे० को जानकारी प्राप्त होने पर आवे० द्वारा नामांतरण आवे० के वाजियत दिनांक 29-6-13 के साथ आपत्ति आवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तह० ने आपत्ति को दर किनार कर अनावेदक के हित में नामांतरण कर दिया गया। जिसके विरुद्ध प्रथम अपील अनु० अधि० के न्यायालय में लंबित है। इसी बीच आवेदक द्वारा विवादित भूमियों के संबंध में व्यवहार न्यायालय वर्ग-2 नागौद के न्यायालय में प्रस्तुत किया जहां प्रकरण क्र० 40ए/2014 आदेश दिनांक 28.8.14 को स्थगन जारी किया गया जिसमें विवादित सम्पत्ति के अंतरण पर रोक लगाई गई। उक्त व्यवहार न्याया० के आदेश प्रति के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही को स्थगित रखने का निवेदन किया गया किन्तु अधीनस्थ अनु० अधि० द्वारा आवेदन निरस्त किया गया कि प्रकरण में मात्र विवादित सम्पत्ति अंतरण (विक्रय) पर रोक है अधीनस्थ न्याया० की कार्यवाही पर नहीं। अनु० विभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 22-9-14 को निरस्त करने एवं निगरानी सुनवाई हेतु ग्राह्य करने का निवेदन किया गया। आवेदक अभि० के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक	

[कृ. प. उ.

R- 3780 III/14 सरकार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	22-9-14 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया एवं निगरानी मेमो मे अंकित बिन्दुओ पर विचार किया गया। जिसके अनुसार यह स्पष्ट हो रहा है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 नागौर द्वारा प्र०क्र० 40 ए/14 मे पारित आदेश दिनांक 28-8-14 से विवादित सम्पत्ति के अंतरण पर रोक लगाई गई है अनु० अधिकारी के न्यायालयीन प्रकरण मे प्रचलित कार्यवाही पर नहीं। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर अनु० अधि० का आदेश दिनांक 22-9-14 स्थिर रखा जाता है जिसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।	
	प्रकरण इस निर्देश के साथ अनुविभागीय अधिकारी की ओर भेजा जाता है कि प्रकरण मे विवादित भूमियो का व्यवहार न्याया० के पालन मे अंतरण न हो इसे ध्यान मे रखा जावे। तथा प्रकरण मे उभय पक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अभिलेखीय आधार पर कथित बटियत एवं वारिसान उत्तराधिकारियो की जांच कर वैध उत्तराधिकारियो के हक मे संहिता मे निहित प्रावधानो के अनुरूप न्यायहित मे नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो के अनुरूप विधि सम्मत नीतिगत निर्णय पारित करें। यह भी भली भांति सुनिश्चित किया जावे, किसी पक्ष के हित अनुचित रूप से प्रभावित न हों। उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण आलोच्य पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों।	
	(हस्ताक्षर) सदस्य	

शाक्षेमुस्वा—75—फॉर्म्स—17-6-2015—5,000.